उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

आर0एम0आर0 सं0– 22/2012–13

गौरी देवी एवं अन्य ..... आवेदक

बनाम

बाबुलाल मोहली एवं अन्य .....विपक्षी

।। आदेश ।।

15/01/2016 यह आर0एम0आर0 सं0– 22/2012–13 गौरी देवी एवं अन्य बनाम् बाबुलाल मोहली एवं अन्य मौजा लखीकुंडी, मोहली टोला, अंचल दुमका के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के एस0आर0 (आर0ई0) वाद सं0– 27/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 30.03.2012 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना। विपक्षी न्यायालय में अनुपस्थित थे, फलतः उनके ओर से पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। किन्तु उनके ओर से लिखित बहस दाखिल किया गया है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा लखीकुंडी के दाग सं0 732 में रकवा 00–12–14 धूर जमींन विपक्षी ने आवेदकों को दान पत्र द्वारा दिया है। जिस पर आवेदक मकान बनाकर निवास कर रहें है। अंचल अधिकारी, दुमका एवं हल्का कर्मचारी द्वारा भी प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक का घर उक्त दाग पर बना हुआ है। निम्न न्यायालय द्वारा उन्हें प्रश्नगत दाग से उच्छेदित किया गया है। इस पर आवेदक का कहना है कि उन्हें वर्ष 1984 में पी0पी0 पट्टा उपायुक्त के न्यायालय से मिला है एवं तब से उस पर निवास कर रहा है। यह कृषि योग्य भूमि नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही नहीं है।

विपक्षी द्वारा अपने लिखित बहस में उल्लेख किया गया है कि विपक्षी उक्त जमींन का उत्तराधिकारी है। प्रश्नगत जमींन रैयती एवं अहस्तान्तरणीय है। आवेदक द्वारा अवैध रूप से जबरन अतिक्रमण किया गया है। जो सं0प0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 20 के विरूद्ध है। उन्होंने रूलिंग के रूप में J.L.J.R. 2009(4) Page No.- 1-16 W.P(C) No.- 1401/07 चक्रम महतो बनाम् झारखंड सरकार में पारित आदेश की प्रति दाखिल किया गया है।

अभिलेख में दाखिल कागजातों के अवालोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण उक्त जमींन को विपक्षी से दान पत्र के आधार पर दाग सं0 732 में 00–12–14 धूर जमींन प्राप्त किया गया है जिसका कागजात 15.05.1990 को बनवाया गया है। इसका वासगीत पर्चा अंचल कार्यालय द्वारा दिनांक 06.03.1984 को निर्गत है। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा बासगीत पर्चा प्राप्ति के पश्चात दानपत्र का कागजात शपथ पत्र के द्वारा दिनांक 22.02.2012 को बनवाया गया है किन्तु यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि आवेदक द्वारा बासगीत पर्चा प्राप्ति के पश्चात किस परिस्थिति में पुनः दान पत्र का कागजात बनवाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा समर्पित

बासगीत पर्चा सही प्रतीत नहीं होता है। वासगीत पर्चा निर्गत संबंधी आदेश की प्रति भी दाखिल नहीं किया गया है। सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के अनुसार दान पत्र एवं वासगीत पर्चा दोनों ही नियम के अनुकूल नहीं है।

विपक्षी द्वारा दाखिल रूलिंग के अनुसार सं0प0 काश्तकारी अधिनियम लागू होने के 12 वर्ष पूर्व यदि किसी का दखल हो तो उसे ही उच्छेद नहीं किये जाने का प्रावधान है, किन्तु आवेदक द्वारा प्रश्नगत जमींन पर 1990 से दखल दिखाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा आवेदक को प्रश्नगत जमींन से किया गया उच्छेदित सही प्रतीत होता है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त
दुमका।

उपायुक्त
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.17 14:36:03 +05:30
Location: 169.254.227.244